

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या - 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(लखीसराय)-30/2020..... पटना, दिनांक: 03/06/2024

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 202 दिनांक 09.04.2024 द्वारा श्री नन्दन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN00400) के विरुद्ध विगत 05 माह से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का प्रतिवेदन देते हुए सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1907 दिनांक 22.04.2024 द्वारा श्री कुमार से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संविदा नियोजन समाप्ति संबंधी एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के बाद भी समर्पित नहीं किया गया है, जो वरीय पदाधिकारी के निदेश की अवहेलना का द्योतक है।

स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संचिका में रक्षित ऑनलाईन उपस्थिति विवरणी का अवलोकन किया गया है। ऑनलाईन उपस्थिति विवरणी के अवलोकनोपरांत पाता हूँ कि श्री कुमार वर्ष 2023 में मात्र 15 दिन एवं वर्ष 2024 माह मई तक मात्र 03 दिन ही उपस्थित हुए हैं, जो इनके विरुद्ध बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाये गये आरोप को प्रमाणित करता है। इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने के बावजूद भी इनको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है, परन्तु इनके द्वारा निदेश की अवहेलना की गयी है, जो इनके मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से ही विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है। श्री कुमार के इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने के कारण समयबद्ध कार्यक्रम बाधित/विलंब हुआ है। ऐसे कर्मियों को संविदा में बनाए रखने से लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब होगा एवं इनके कृत का प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित है।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के नियम 8(4) में वर्णित प्रावधान के तहत श्री नन्दन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN00400) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(लखीसराय)-30/2020..... पटना, दिनांक : 03/06/2024
प्रतिलिपि :- श्री नन्दन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN00400), बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(लखीसराय)-30/2020..... पटना, दिनांक : 03/06/2024
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(लखीसराय)-30/2020..... पटना, दिनांक : 03/06/2024
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण